

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 156] नई दिल्ली बुधवार, सितम्बर 24, 1969/आश्विन 2, 1891

No. 156] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 1969/ASVINA 2, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September 1969

G.S.R. 2319.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Agriculture) No. G.S.R. 884, dated 26th March, 1969, namely:

In the said notification, in the Table,

(i) in the entries relating to S. No. 3, in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“The State of Madras excluding the area comprised in Kolukumalai Tea Factory Range (being a part of Kottagudi village of Uthamapalayam Taluk of Madurai District, Madras State) but including the area comprised in Malakipara Tea Factory Range (being a part of Periyaram village of Mukundapuram Taluk of Trichur District, Kerala State) and the Union Territory of Pondicherry excluding Mahe commune and the village of Yanum.”

(ii) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted.

(iii) in the entries relating to S. No. 16, in column 3, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

“The State of Kerala excluding the areas comprised in Malakipara Tea Factory Range (being a part of Periyaram village of Mukundapuram

Taluk of Trichur District, Kerala State) but including the areas comprised in Mahe Commune of the Union Territory of Pondicherry and Kolukumalai Tea Factory Range (being a part of Kottagudi village of Uthamapalayam Taluk of Madurai District of Madras State)".

[No. 11(7)/69-C.A.I.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1969

का० नि० आ० 2320.—उत्पाद उपकर अधिनियम 1966 (1966 का 15) के अनुभाग 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 884, दिनांक 26 मार्च, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् —

उपरोक्त अधिसूचना में, की तालिका में,

- (i) क्रम संख्या 3 के स्तम्भ 3 में वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज बवल दिया जाए, अर्थात् :—

“कोलूकुमालाय टी फैक्टरी रेंज (मद्रास राज्य के मदुराय जिला के उथामा-पालयम तालुक के ग्राम कोट्टागुडी का एक भाग होने के नाते) के क्षेत्र को छोड़कर, मद्रास राज्य, परन्तु इसमें मालाकीपारा टी फैक्टरी रेंज का क्षेत्र (केरल राज्य के जिला त्रिचूर के मुकन्दपुरम तालुक के ग्राम पेरीयारम का एक भाग होने के नाते) और माहे कम्यून तथा यानुम ग्राम को छोड़कर पाण्डीचेरी संघ क्षेत्र शामिल है”।

- (ii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित इन्दराज निकाल दिए जाएं ।

- (iii) क्रम संख्या 16 से संबंधित इन्दराज के स्तम्भ 3 के वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित इन्दराज बदल दिया जाए, अर्थात् —

“मालाकीपारा टी फैक्टरी रेंज (केरल राज्य के जिला त्रिचूर के मुकन्दपुरम तालुक के ग्राम पेरीयारम का एक भाग होने के नाते) के क्षेत्र को छोड़कर केरल राज्य, परन्तु पाण्डीचेरी संघ क्षेत्र के माहे कम्यून क्षेत्र तथा कोलूकुमालाय टी फैक्टरी रेंज (मद्रास राज्य के जिला मदुराय के उथामा-पालयम तालुक के ग्राम कोट्टागुडी का एक भाग होने के नाते) का क्षेत्र शामिल है”

[सं० 11(7)/69-सी० ए० 1]

सु० ज्या० मजुमदार श्रवर सचिव,